न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम

श्रवण कुमार बनाम बाबूलाल

यालय

या 15/22 S/91

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17-2-2023	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उप० पत्रावली आदेश प्रा०पत्र 07 R11 सपठित धारा-151 सी.पी.सी. हेतु नियत है। प्रा०पत्र 07 R11 सपठित धारा-151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

वाद संख्या 14 / 2022 निर्णय दिनांक : 17.02.2023

श्रवण कुमार पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र दयालराम
2. भगवान सहाय पुत्र सूरजमल
3. लल्लूलाल पुत्र दयालराम

समस्त जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील व जिला जयपुर।

4. गोकुल पत्नी सूरजमल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राज.।
5. भींवाराम चौपडा पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी ग्राम राजारामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :– (1) श्री मदन लाल कुडी – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री रामकिशोर – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1 ओर से

दिनांक:–17.02.2023

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी 1 .बाबूलाल की ओर से 27.06.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि मिन वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के पेश

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर की कृषि भूमि खाता संख्या 276 खसरा नंबर 1539 / 1711 रकबा 1.7000 हैक्टेयर व खाता संख्या 87 के खसरा नंबर 1543 रकबा 0.49 हैक्टेयर खसरा नंबर 1546 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर व खाता संख्या 88 के खसरा नंबर 1544 रकबा 2.20 हैक्टेयर खसरा नंबर 1545 रकबा 1.32 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.52 हैक्टेयर बाबत एक वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(5) के अनुसार एक से अधिक खातों में समान पक्षकार होने पर ही संयुक्त विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त उनवानी वाद में खाता संख्या 87, 88 और 276 में भिन्न भिन्न खातेदार होने पर भी एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रस्तुत उक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब पेश नही किया और सीधे प्रार्थना पत्र बहस की। उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व बहस का अवलोकन किया गया। वादी ने खाता संख्या 87, 88 और 276 में भिन्न भिन्न खातेदार होने पर भी एक ही, प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(5) के अनुसार एक से अधिक खातों में समान पक्षकार होने पर ही संयुक्त विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त परिपेक्ष में वादी का वाद विधि बाधित (Barred by Law) होने के करण पोषणीय (Maintainable) नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर